भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 221

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक जिला एक उत्पाद

221. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) आंध्र प्रदेश में इस प्रयोजन के लिए चिन्हित स्थानों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत सृजित आर्थिक मूल्य, निर्यात और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की शुरूआत की है, जो किसी जिले की वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल करने, आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने, रोजगार सृजन करने और ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में बढ़ाया गया परिवर्तनकारी कदम है जो हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक ले जाएगा। ओडीओपी पहल का प्रचालनगत प्रयोजनों के लिए डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित 'निर्यात केंद्र के रूप में जिला (डीईएच)' पहल के साथ विलय कर दिया गया है, जिसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) प्रमुख हितधारक है।

ओडीओपी पहल का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम को बनाते हुए देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके देश के जिले पर इकाई के रूप में फोकस करना है ताकि इन्हें विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। विभाग ओडीओपी पहल को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ कार्य करता रहा है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

इस संदर्भ में, जिला निर्यात कार्य योजना में भारत से बाहर के संभावित खरीदारों तक पहुंचने, पर्याप्त मात्रा और अपेक्षित गुणवत्ता में चिह्नित उत्पादों के उत्पादन/विनिर्माण में स्थानीय निर्यातकों/ विनिर्माताओं को सहायता देने के लिए अपेक्षित विशिष्ट कार्रवाई शामिल है, ताकि आर्थिक मूल्य का सृजन किया जा सके। इन योजनाओं में ऐसे चिह्नित उत्पादों/सेवाओं के निर्यात में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें दूर करना, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, बाजार तक पहुंच और अधिक निर्यात के लिए सहायता करना शामिल है ताकि रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हो।

(ख): ओडीओपी पहल के तहत कुछ उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) ओडीओपी जीईएम बाजार को देश भर में ओडीओपी उत्पादों की बिक्री और अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफार्म पर 200 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ 29 अगस्त, 2022 को सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पर शुरू किया गया था।

(ii) ओडीओपी उत्पादों को मई, 2022 में विश्व आर्थिक फोरम, दाओस, जून, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईवाईडी) न्यूयार्क, यूएस आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किया गया है।

(iii) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) श्रेणी के माध्यम से समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु अप्रैल, 2022 में ओडीओपी पहल की पहचान की गई है।

(iv) डीईएच के तहत, (क) सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया गया है। (ख) देश के 734 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई है (कृषि और खिलौना क्लस्टर तथा इन जिलों में जीआई उत्पाद सहित); (ग) 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य निर्यात कार्यनीति तैयार की गई है; (घ) 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं; (ङ) 681 जिलों में पहले ही डीईपीसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं; (च) 570 जिलों के लिए मसौदा जिला कार्य योजना तैयार की गई हैं; (छ) डीजीएफटी द्वारा सभी जिलों में जिला निर्यात कार्य योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल का विकास किया गया है।

(ग) और (घ): आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं और उनमें से लगभग 13 को डीईएच पहल में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों सहित 'निर्यात केंद्र के रूप में जिला' पहल के तहत पहचाने गए उत्पादों की राज्य-वार/जिला-वार सूची का ब्यौरा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :
https://exporthubs.gov.in/images/pdf/Final%20Product%20List.pdf

*****